157

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

नि -1779-I-16

अपील प्रकरण कमाक /2016 जवलपुर

कमल सिंह पिता श्री पुन्नू सिंह निवासी ग्राम सिहोरा पोस्ट घाटपिपरिया थाना बंरगी जिला जवलपुर म.प्र.।

..............अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्धारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. अटल उपाध्याय पिता श्री के.एल. उपाध्याय निवासी 1926/6 कजरवारा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.
3. राजेश उपाध्याय पिता श्री के.एल. उपाध्याय निवासी एस.एफ.आई. जवलपुर म.प्र.।

...........प्रत्यार्थीगण

श्री सुनील सिंह राठौर, अभि. द्वारा आज दि. 3-6-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्धारा प्रकरण क 40/अ–21/2015–2016 मे पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1779–/1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
24-6-16	यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 40/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–05–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 44 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम मंगेली प.ह.न. 30 रा.नि. मं. जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 107 रकवा 0.740 है0 उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने से भूमि को विकय कर बच्चो की शिाक्षा एंव पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ती हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 40/अ–21/2015–16 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यो की जॉच कराकर आदेश दिनांक 19.05.2016 पारित किया एंव अपीलांट का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4– अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार	

उपबंधकी भू...
जा सकती।
(2)दयाली
20...

करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 107 रकवा 0.740 हे. के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विकय की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त 2.80 हे. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विकय की जाने वाली भूमि के विकय उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एंव भूमि विकय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वना सकेगा एंव अपनें बच्चो की शिक्षा एंव पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ती कर सकेगा । विकय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, एंव तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकय की अनुमति दिये जाने मे किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नही है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0–08–माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू–राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)–धारा 165(7–ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपंबधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –उपबंध आकर्षित नही होते–भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन–का सिद्धात –नवीन उपवंध का अंतःस्थापन –भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –ऐसे

उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 165(7–ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंर्जित किये –भूमि का विकय कर सकता है–कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 40/अ–21/2015–16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम मंगेली प.ह.न. 30 (मानेगांव)रा.नि.मं. जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 107 रकवा 0.740 है0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1–भूमि का कय–विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का कय –विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य